



# REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)

Regd. Office: Core-4, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi - 110003

Corporate Office: Plot No. I-4, Near IFFCO Chowk Metro Station, Sector-29, Gurugram - 122001 (Haryana)

Tel: +91 124 444 1300 | Website: www.recindia.nic.in

CIN : L40101DL1969GOI005095 | GST No.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2024/1637

दिनांक: 27 मार्च, 2024

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), <u>Mumbai-400 051</u>	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <u>Mumbai - 400 001</u>
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

## विषय: 27 मार्च, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक के परिणाम

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने 27 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस पर विचार किया और निम्न को मंजूरी दे दी:

### क. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का बाजार उधार कार्यक्रम निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	₹ करोड़ में
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>घरेलू बॉण्ड/डिबेंचर जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, जीरो कूपन, बिना अवधि का, अधीनस्थ, मुद्रास्फीति-सूचकांकित, कर-मुक्त, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड, बाज़ार से जुड़े, ग्रीन बॉण्ड, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) बॉण्ड, आंशिक रूप से भुगतान, हस्तांतरणीय प्रतिदेय मूल भाग (एसटीआरपीपी), क्रमबद्ध परिपक्वता, संचयी ब्याज, स्टेप अप कूपन, बॉण्डईटीएफ का हिस्सा बनने वाले बॉण्ड, या कोई अन्य बॉण्ड/डिबेंचर, ब्याज दर स्वैप/विकल्प के साथ/बिना बॉण्ड में एम्बेडेड होने के साथ/बिना/ डिबेंचर संरचना अलग से शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि नियामक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जा</li></ul>	1,45,000

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता,

लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

	<p>सकती है, चाहे प्रतिभूत/गैर-प्रतिभूत, गैर-परिवर्तनीय, प्रतिदेय, कर योग्य/कर-मुक्त, चाहे निजी या सार्वजनिक प्लेसमेंट के आधार पर;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड;</li> <li>• बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी/कॉर्पोरेट/अन्य संस्थानों से रुपया सावधिक ऋण;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विदेशी मुद्रा सावधि ऋण और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जिनमें / विदेशी मुद्रा बॉण्ड / रुपया ऑफशोर बॉण्ड (मसाला या कोई अन्य बॉण्ड) / ग्रीन बॉण्ड, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) बॉण्ड आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं; निर्यात ऋण सहायता (ईसीए); आधिकारिक विकास सहायता ऋण (दीर्घ/मध्यम/अल्पावधि); विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी); विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] ऋण; बैंकों/एफआई/एनबीएफसी/अन्य संस्थानों/बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों आदि से ओडीए ऋण निर्यात करें (रोलओवर को छोड़कर)।</li> </ul>	
2.	<p>बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी आदि से अल्पावधि ऋण (एसटीएल) (5,000 अस्थायी ऋणों को छोड़कर यानी 6 महीने से कम अवधि के एसटीएल, डब्ल्यूसीडीएल, सीसी सीमा, ओडी सुविधा या समान प्रकृति की कोई अन्य व्यवस्था)।</p> <p><i>वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी आदि से लिए गए और चुकाए गए अल्पावधि ऋण को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।</i></p>	5,000
3.	<p>वाणिज्यिक पत्र</p> <p><i>वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाए गए और चुकाए गए वाणिज्यिक पत्र को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।</i></p>	10,000
	<b>कुल</b>	<b>1,60,000</b>

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित उधार कार्यक्रम के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के द्वारा धन की वास्तविक आवश्यकता, परिसंपत्ति-देयता की स्थिति और मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर, विभिन्न परिपक्वताओं के लिए, विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से धन जुटाया जाएगा।


**ख. 'स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए मानदंड पर नीति' में संशोधन:** बोर्ड ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 30 के अनुसार 'स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए मानदंड पर नीति' में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नीति की प्रति "<https://recindia.nic.in/policies>" पर उपलब्ध है।

बोर्ड की बैठक सुबह 09.30 बजे शुरू हुई और दोपहर 3.35 बजे समाप्त हुई।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

Jyoti  
Shubhra  
Amitabh

भवदीय,  
  
(जे. एस. अमिताभ)  
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव